योजना संकलन अक्टूबर 2018

महिला सशक्तिकरण

Powered by :

gradeup

प्रस्तावना

योजना अक्टूबर, 2018: महिला सशक्तिकरण

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (CSE) में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उत्तर लेखन की सुदृढ़ शैली के महत्व से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। इस दृष्टिकोण से योजना जैसी पत्रिकाएं आवश्यक हो गई हैं। यह पत्रिका प्रमुख बिंदुओं, आंकड़ों, तथ्यों, और वक्तव्यों का एक भंडार है जिसका उपयोग अच्छे अंक अर्जित करने में किया जा सकता है। कई बार, निबंध अथवा सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों में योजना से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यह पत्रिका आपको किसी मुद्दे से संबंधित लगभग सभी विश्लेषणात्मक पहलुओं से जुड़े विशिष्ट विषयों की अच्छी, विस्तृत और संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। यह आपको मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने में मदद करती है जो दिन प्रतिदिन अधिक विश्लेषणात्मक होते जा रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा में भी, हमें योजना से लिए गए अनेक वक्तव्य मिलते हैं।

यह सब योजना जैसी पत्रिकाओं को पढ़ने की अनिवार्यता को दर्शाता है। यद्यपि पूरी पत्रिका को पढ़ने के अपने ही लाभ हैं, लेकिन हमें उपलब्ध समय को भी ध्यान में रखना होगा। इसके लिए, आप पत्रिका के सारांश को पढ़ सकते हैं जिसमें जानकारी सुव्यवस्थित ढ़ंग से प्रस्तुत है जिसे आसानी से याद रखा जा सकता है और परीक्षा में सरलता पूर्वक लिखा जा सकता है। हमारे द्वारा प्रस्तुत यह पत्रिका उस दिशा में एक प्रयास मात्र है। यह आपको विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं और उनका विश्लेषण प्रदान करेगा, जिसे किसी परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

प्रस्तुत अंक **योजना- अक्टूबर, 2018** संस्करण का सारांश है जो भारत के विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार प्रस्तुत करता है। हमारा मानना है कि यह उम्मीदवारों के लिए उच्चतम प्रतिफल सुनिश्चित करने में बेहद लाभदायक सिद्ध होगा।

हमारी ओर से शुभकामनाएं ☺

विषय सूची:

1. महिलाओं के नेतृत्व में विकास से राष्ट्र का सशक्तीकरण
2. सतत देखभाल के जरिए महिला सशक्तीकरण
3. महिलाओं का उनके जीवन पर अधिकार दिलाने में सहायता करना
4. आदिवासी महिलाओं का सशक्तीकरण
5. महिला सशक्तीकरण : कानूनी प्रावधान
6. संचार : महिलाओं के सशक्तीकरण में संचार माध्यमों का महत्व

महिलाओं के नेतृत्व में विकास से राष्ट्र का सशक्तीकरण

"लोगों को जगाने के लिए, महिलाओं को अवश्य जगाना होगा। जब वह आगे बढ़ती हैं, तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है, एक राष्ट्र आगे बढ़ता है।"

- पंडित जवाहर लाल नेहरू

- परिचय
- लैंगिक समानता में वृद्धि
- भेदभाव खत्म करना
- वित्तीय सशक्तीकरण
- उद्यमिता को बढ़ावा देना
- मातृत्व को सशक्त बनाना
- कार्यस्थल पर सुरक्षा
- दुर्गम को पहुंच में लाना

परिचय :-

- भारत की जनसंख्या का आधा भाग महिलाएं हैं। पिछले कई वर्षों में हमनें महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में विकास करते देखा है - कार्यालय में कार्य करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय खेल में प्रतिनिधित्व करते हुए, नौकरशाही में, राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कई अन्य क्षेत्र भी।
- यह एक सकारात्मक परिवर्तन है और यह पहले से अधिक तेज गति से हो रहा है।

लैंगिक समानता में वृद्धि :-

- भारतीय वायु सेना में पहली महिला लड़ाकू विमान चालक को नियुक्त किया गया है। थल सेना में लड़ाई की भूमिका में महिलाओं की भागीदारी पर भी गहनता से विचार हो रहा है।
- ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और कई खेल प्रतियोगितायों में महिला द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखा गया है।
- मंगलयान और 104 नैनो सैटेलाइट को एक अकेले रॉकेट से कक्षा में स्थापित करने के पीछे महिला वैज्ञानिकों की एक टीम थी।
- महिला साक्षरता दर में वर्ष 1951 के 9% के मुकाबले वर्ष 2011 में 65% की वृद्धि हुई है।
- आज कार्यस्थल में, प्रत्येक चौथा कर्मचारी एक महिला है। विविध क्षेत्रों में उनकी बढ़ती भागीदारी के साथ, निजी और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी शक्ति बढ़ी है।
- अब हमारी ग्राम पंचायत सदस्यों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियो का अंश 46% है। आम

चुनावों में लड़ने वाली महिलाएं 1957 चुनावों से 2014 चुनावों में 31.7 वर्ष से 70 वर्ष बढ़ गयी है।

- स्वास्थ्य क्षेत्र में, औसत महिला जीवन प्रत्याशा वर्ष 1950-51 से वर्ष 2016 तक 31.7 वर्ष से लेकर 70 वर्ष हो गयी है।
- अस्पतालों में होने वाले जन्म की संख्या में सर्वकालिक वृद्धि 2014-15 में 79% देखा गया है। 2001-03 और 2011-13 के दशक में मातृत्व मृत्यु दर में आधी गिरावट आयी है।
- बैंक खाता धारक महिलाओं की संख्या में वर्ष 2005-06 से वर्ष 2015-16 की तुलना में 15% से 53% तक बढ़ोत्तरी हुई है।

भेदभाव समाप्त करना

- हमारे देश में महिलाएं अभी भी अपने जीवन और आजादी के लिए गंभीर खतरे का सामना कर रही हैं। हम रोज भयानक घटनाओं के बारे में सुनते हैं और हम देखते हैं कि युवा लड़कियां अपने भाईयों की देखभाल करने या विवाह के लिए विद्यालयी शिक्षा बीच में छोड़ रही हैं।
- महिलाओं को अभी भी अपने घरों और खेतों में परिश्रम का बेमेल पारिश्रमिक मिल रहा है। उन्हें घरों या कार्यस्थलों में अक्सर बराबर भुगतान नहीं होता है।

वित्तीय सशक्तिकरण

- समस्या की जड़ को पकड़ते हुए, सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की है जो भारत के सभी जिलों में लोगों की रुढ़िवादी सोच सुधारने में मदद करेगी।
- सुकन्या समृद्धि योजना वर्ष 2015 में शुरू हुई थी, जिसके तहत लड़कियों के बैंक खाते में एक छोटी सस्ती जमाराशि रखी जाती है, जिसपर ब्याज की उच्च दर का लाभ होता है। इस जमाराशि को बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर निकाला जा सकता है, और उच्च शिक्षा के लिए पैसा दिया जा सकता है। इस तरह के खाते 1.39 करोड़ लड़कियों के लिए पहले ही खोले जा चुके हैं।
- 16.42 करोड़ महिला खाते प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले जा चुके हैं। कुल बचत खातों में महिलाओं का अंश 2014 में 28% से 2017 में 40% तक बढ़ गया है।

उद्यमिता को बढ़ावा देना

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, सरकार बिना किसी गिरवी के छोटे उद्यमियों को धनराशि प्रदान कर रही है। इन ऋणों का 75% महिलाओं को दिया जा चुका है, जिससे योजना के तहत 9.81 करोड़ महिला उद्यमी पहले से लाभांवित हो चुकी हैं।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) के तहत 47 लाख स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में महिला स्वयं सहायता समूहों को दी गई ऋण धनराशि में 37% की वृद्धि देखी गयी है।

- कौशल विकास एक दूसरा मुख्य पहलू है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत महिला उम्मीदवारों को आधे प्रमाणपत्र जारी किये जा चुके हैं।

मातृत्व को सशक्त बनाना

- क्रियाशील महिलाओं को 26 सप्ताह का देय मातृत्व अवकाश उन्हें बच्चे के जन्म के कारण वेतन खोने या नौकरी जाने का डर महसूस करने की जरूरत नहीं है।
- अंसगठित क्षेत्रों में भी सुरक्षा का विस्तार करने के लिए, गर्भवती और स्तनपायी महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत नकद धनराशि लाभ प्रदान किया जाता है।
- महिलाओं को उनकी योग्यता की पहचान करते हुए वरिष्ठ पदों पर महिलाओं का होना एक सकारात्मक कदम है। इसलिए, कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित किया गया है। वर्तमान में 5 लाख से अधिक महिला निदेशक कंपनियों में नियुक्त हैं, जो भारत में सर्वकालिक अधिक है।
- ग्राम स्तर पर, पंचायत की महिला सदस्य अपने गांवों को सशक्त बना रही हैं। महिला मंत्रालय ने पिछले वर्ष 18,000 महिला सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था।

कार्यस्थल में सुरक्षा

- कार्यस्थल में महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं को एक सुरक्षित और भयरहित वातावरण प्रदान करता है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर यौन शोषण के मामलों के लिए एक ऑनलाइन शिकायत तंत्र स्थापित किया है।
- उज्जवला योजना को लागू किया गया, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को अस्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को मुफ्त एल.पी.जी. सिलेंडर प्रदान करना। जुलाई 2018 तक, 5.08 करोड़ एल.पी.जी. कनेक्शन पहले ही जारी हो चुके थे।
- सरकार ने सभी राज्यों में 181 महिला हेल्पलाइन और 206 वन स्टॉप सेंटर आवंटित किये हैं।
- पुलिस फोर्स में 33% आरक्षण को लागू किया जा रहा है।
- देश में 8 प्रमुख शहरों को महिलाओं के लिए सुरक्षित तथा भयमुक्त बनाने के लिए व्यापक योजनाओं को लागू करने के लिए निर्भया फंड का भी प्रयोग किया जा रहा है।

अपहुंच तक पहुंच बनाना :

- देशभर में अनछुए तक छूने के लिए, मंत्रालय ने हाल ही में महिला शक्ति केन्द्र योजना को लांच किया है। इसके तहत 3 लाख विद्यार्थी स्वयंसेवक देशभर में फैलकर ग्राम स्तर पर महिलाओं को सरकारी योजनाओं और उनके सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं से सीधे जोड़ेंगे।

- चूंकि भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाने के लिए प्रयासरत है, तब सशक्त महिलाओं की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है।

सतत देखभाल के जरिए महिला सशक्तीकरण

- परिचय
- मातृत्व देखभाल
- शिशु सुरक्षा
- स्वस्थ किशोर
- गर्भावस्था नियोजन
- महिला शिशु की देखभाल
- औषधि और नैदानिक परीक्षण
- निष्कर्ष

परिचय

- किसी देश के लिए अपनी सभ्यता का निर्माण करने के लिए उसका अपने समाज में महिलाओं का मजबूत, बराबर, सक्रिय और रचनाशील होना, तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण और समान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना महत्वपूर्ण है।
- इसके महत्व को पहचानते हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने महिलाओं की विभिन्न जीवन अवस्थाओं पर बराबर ध्यान केन्द्रित किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए सतत देखभाल उपागम को अपनाकर महिलाओं के स्वास्थ्य पर कई योजनाओं को लागू किया है, इसमें गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, शिशुओं, युवा बच्चों, किशोरों और प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों सहित कार्यक्रमों की विस्तृत श्रेणी है।

मातृत्व देखभाल :

- हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व देखभाल गुणवत्ता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को लांच किया गया है। अप्रैल 2018 तक, 1.42 करोड़ ए.एन.सी. किये गये हैं और 7 लाख से अधिक उच्च जोखिम वाले गर्भों की पहचान की जा चुकी है।
- एएनसी सेवाएं ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवसों द्वारा ग्राम स्तर पर दी जाती हैं।
- गर्भमती महिलाओं को माता और बच्चा सुरक्षा कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पंजिका प्रदान की जाती है।
- मंत्रालय ने एक मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम और किलकारी मोबाइल सर्विसेज़ भी चलाता है जो महिलाओं को प्रसव पूर्व और उसके उपरांत देखभाल सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति को सुनिश्चित करता है।

शिशु सुरक्षा :

- जननि शिशु सुरक्षा कार्यक्रम सभी गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में बिलकुल निशुल्क और खर्च रहित प्रसव कराने के लिए पात्र बनाती है, जिसमें शल्यचिकित्सा के द्वारा हुआ प्रसव भी शामिल है। 1.33 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं।
- महिलाएं अपनी निकटतम आशा (अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) अथवा ए.एन.एम. (सहायक नर्स दाई) से संपर्क करने के लिए 102 डायल कर सकती हैं।
- सरकार ने श्रम कक्षों से संबंधित मुख्य प्रक्रियाओं को मजबूत करने हेतु केन्द्रित और लक्षित साधन केलिए LaQshya कार्यक्रम - श्रम कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल को भी शुरू किया है।
- एमओएचएफडबल्यू ने अस्पतालों में प्रसव को प्रोत्साहन देने के लिए जननी सुरक्षा योजना - एक नकद हस्तांतरण योजना को भी लागू किया है। देश में संस्थागत प्रसव में 47% से लेकर 78.9% की वृद्धि हुई है।
- बच्चों का पालन पोषण करने की अच्छे अभ्यास के संबंध में माता-पिता और देखभालकर्ता को शिक्षित करने के लिए एक पुस्तक शीर्षक "प्रथम 1000 दिनों की यात्रा" को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया है।

स्वस्थ किशोर

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरूआत की है जिसका लक्ष्य किशोर स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता और जानकारी को पहुंच में लाना, परामर्श और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, सैनिटरी नैपकिन देना, आयरन फोलिक अम्ल पूरक आहार इत्यादि प्रदान करना।
- महिला एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 19 वर्ष आयुवर्ग की किशोर बालिकाओं के बीच मासिकधर्म स्वच्छता के प्रोत्साहन के लिए एक योजना को भी लागू कर रहा है।

नियोजित गर्भधारण

- महिला एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम माता-पिता को स्वतंत्र व जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से उनके बच्चों की संख्या और अंतराल का निर्णय में सहायता के लिए विकल्पों का एक झुंड प्रदान करता है।
- आशा महिलाओं द्वारा गर्भनिरोधक गोलियों की घर पर आपूर्ति का लक्ष्य पात्र युगलों को उनकी चौखट पर गर्भनिरोधकों तक पहुंच में सुधार करना है। आशा महिलाओं को युगलों को परामर्श देने के लिए प्रशिक्षित किया गया है कि वे शादी के दो साल बाद अंतर और पहले बच्चे के जन्म के तीन साल बाद अंतराल को सुनिश्चित करें।

बालिका शिशु की देखभाल

- जिला स्तर पर विशेष नवजात देखभाल इकाईयों और उप जिला स्तरों पर नवजात शिशु देखभाल नुक्कड़ों को स्थापित किया गया है। आशा नवजात शिशुओं को घर पर नवजात देखभाल प्रदान करने के लिए घर का दौरा करती हैं।
- गंभीर कुपोषण से ग्रस्त बच्चों को विशेष देखभाल प्रदान करने के लिए 1150 पोषण पुनर्वास केन्द्रों को स्थापित किया गया है।
- बच्चों की संपूर्ण जीवन गुणवत्ता सुधारने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक पहल है।

औषधियां और नैदानिक परीक्षण :-

- जरूरी दवाओं के लिए सरकारी दवाखानों में मुफ्त दवा और नैदानिक परीक्षण अन्य मंच हैं जहां महिलाएं मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ ले सकती हैं।

निष्कर्ष

- इन प्रयासों के कारण भारत में पांच वर्ष से नीचे और मातृत्व मृत्यु दर की संख्या में भारी गिरावट आयी है।
- भारत को 2015 में मातृत्व और नवजात टिटनेस उन्मूलन घोषित कर दिया गया था।
- इसने मातृत्व मृत्यु दर के लिए एम.डी.जी. को पूरा कर लिया है जिसमें 37 अंकों की भारी गिरावट हुई है।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना

- परिचय
- महिला उद्यमिता का विकास
- वित्तीय सुरक्षा
- सरकार की पहलें
- निष्कर्ष

परिचय :

- पिछले पचास वर्षों में भारत की जनसंख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है और उसकी तुलना में अवसरों में भी बढ़ोत्तरी हुई है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
- महिलाओं की हिस्सेदार जनसंख्या में लगभग 50 प्रतिशत है और वे परिवार का आधार होती हैं। हाल के वर्षों में आर्थिक कारणों से महिलाओं की परंपरागत भूमिका में बदलाव हुआ है और समाज के समग्र विकास में उनकी भूमिकाओं को सामने लाने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्हें अपने स्वयं को जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में सक्षम बनाना अनिवार्य है।

महिला उद्यमिता का विकास :

- महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उद्यमिता विकास और आय अर्जक गतिविधियां व्यवहारिक साधन मुहैया कराती हैं।
- लघु वित्त के साथ स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) महिला उद्यमिता और वित्तीय सशक्तीकरण को बढ़ावा देने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। यह न केवल गरीबी से संघर्ष का एक मजबूत हथियार है बल्कि हाशिए पर धकेल दिए गए वर्गों खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने का माध्यम के रूप में भी है। इससे समाज में उनका स्थान भी ऊंचा हुआ है।
- सूक्ष्म वित्त लघु-स्तर व्यवसायिक उद्यमों को प्रोत्साहन दे रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य आय अर्जक गतिविधियों के माध्यम से गरीबी को दूर करना है।

वित्तीय सुरक्षा :

- अध्ययनों से यह भी पता चला है कि स्वयंसहायता समूहों को मुख्य रूप से महिलाओं के लिए स्थापित किया गया है और तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में वे काफी सफल रहे हैं। नाबार्ड में वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सहयोग से महिलाओं के गैर स्वयंसहायता समूहों के लिए एक पायलट परियोजना का शुभारंभ किया।
- तीनों राज्यों के अध्ययन बताते हैं कि स्थापित किए गए स्वयंसहायता समूहों ने ऋण की रिकवरी, सदस्यों के बीच बचत को बढ़ावा देने और स्वयंसहायता, आय सृजन करने वाली

परिसंपत्ति की खरीद के लिए ऋण के प्रभावी उपयोग के लिए महिलाओं के सशक्तीकरण में मदद की है।

- अब भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) भी स्वयंसहायता समूहों की भूमिका और वित्तपोषण के महत्व को समझता है और वह नाबार्ड के सहयोग से महिला उद्यमियों को मध्यम आकार का ऋण प्रदान कर रहा है।

सरकार की पहलें :

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास संगठन (एमएसएमई-डीओ), विभिन्न राज्य लघु उद्योग विकास निगम (एसएसआईडीसी), राष्ट्रीयकृत बैंक और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.) सहित विभिन्न गैर सरकारी संगठन संभावित महिला उद्यमियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रहे हैं।
- सिडबी महिला उद्यमियों के लिए दो योजनाओं को लागू कर रहा है, जो कि महिला उद्यम निधि और महिला विकास निधि हैं।
- उद्यमिता और अभिनव को बढ़ावा देने के लिए कुछ सरकारी प्रयास हैं :
    - स्टार्ट-अप इंडिया - भारत सरकार स्टार्ट-अप को उनके पूरे जीवन चक्र में प्रोत्साहित, पोषित और सहयोग करते हुए उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है।
    - स्टेप - भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लांच की गई इस योजना का उद्देश्य औपचारिक कौशल प्रशिक्षणों केन्द्रों से वंचित महिलाओं को, खासकर ग्रामीण भारत में, प्रशिक्षित करना है।
    - व्यापार संबंधित उद्यमिता सहायता और विकास (ट्रीड) : यह एनजीओ के माध्यम से इच्छुक महिलाओं को ऋण प्रदान करती है।
    - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) - यह एक कौशल प्रमाणन पहल है जिसका लक्ष्य युवाओं को उद्योगों से जुड़े कौशल में प्रशिक्षित करना है।
    - निष्पक्ष सशक्तीकरण और विकास के लिए विज्ञान (सीड) : सीड का लक्ष्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिकों और जमीनी स्तर के कर्मचारियों, खास तौर से महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक लाभ हेतु कार्य-उन्मुख, स्थान विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अवसर प्रदान करना है।
    - महिलाओं के लिए मुद्रा योजना - यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो व्यक्तिगत स्तर पर नया लघु व्यवसाय स्थापित करना चाहती हैं।
    - नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच की घोषणा की है।

निष्कर्ष :

- महिला उद्यमी स्वयं और दूसरों के लिए रोजगार का सृजन करती हैं, साथ ही प्रबंधन, संगठन और व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं के लिए समाज को समाधान प्रदान करती हैं। फिर भी भारतीय उद्योग क्षेत्र में उन्हें बहुत अधिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता।

- महिलाओं की उद्यमशीलता परिवारों और समुदायों के आर्थिक कल्याण, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तीकरण में योगदान दे सकती हैं। इस प्रकार वे सतत विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का सशक्तीकरण

- परिचय
- अनुसूचित जनजाति महिलाओं की स्थिति
- अच्छी शिक्षा प्रदान करना
- आर्थिक विकास के लिए योजनाएं
- वन उपज पर अधिकार
- निष्कर्ष

परिचय :

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग हैं।
- अनुसूचित जनजाति महिलाओं की जनसंख्या 5.19 करोड़ है जो कुल आदिवासी जनसंख्या का 49.7% है।

अनुसूचित जनजाति महिलाओं की स्थिति

- 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान प्रति अनुसूचित जनजाति समुदाय में 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 978 से 990 हो गई।
- अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 73% से कम है। अनुसूचित समुदायों में पुरुषों की 69% साक्षरता की तुलना में महिलाओं की साक्षरता 49% है।
- अनुसूचित जनजाति मामलों के मंत्रालय की स्थापना 1999 में हुई थी। उस वक्त इसे सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्रालय से अलग कर बनाया गया था। मंत्रालय बनाने का मकसद देश की जनजातीय आबादी की सामाजिक-आर्थिक हैसियत को बढ़ावा देना, उसकी गरिमा और संस्कृति का संरक्षण था।
- भारत का संविधान न सिर्फ महिलाओं को बराबरी का हक देता है, बल्कि सरकार को महिलाओं के लिए सुविधाएं मुहैया कराने की खातिर उपाय करने का अधिकार भी देता है। संविधान में मौजूद इन प्रावधानों के अलावा अनुच्छेद 338 में संशोधन (89वां संशोधन) के जरिये राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचप्र

- आदिवासी मामलों के मंत्रालय की प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक बेहतर पहुंच बनाने पर ध्यान देता है। इन विद्यालयों में 50% से अधिक विद्यार्थी लड़कियां हैं और उन्होंने पिछले कई वर्षों में शिक्षा,

खेल और अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यही स्थिति आश्रम विद्यालयों में भी हैं जहां अनु. जनजाति समुदाय की लड़कियों पर ध्यान होता है।

- अनु. जनजाति समुदाय से संबंधित लड़कियों को पूर्व और उत्तर माध्यमिक छात्रवृत्तियां और उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फ़ेलोशिप और छात्रवृत्ति के विभिन्न स्तरों पर अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- निम्न साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति समुदाय की लड़कियों हेतु स्कूल चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को "निम्न साक्षरता जिलों में अनु.जन. लड़कियों के मध्य शिक्षा को मजबूत करना" योजना के अंतर्गत सहायता की जाती है।

आर्थिक विकास के लिए योजना

- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास के लिए आदिवासी मामलों के मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष निकाय है।
- यह निगम अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए "आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना" शीर्षक नाम से एक विशेष योजना चला रहा है।
- इसके अतिरिक्त, अन्य योजनाएं जैसे लघु वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी. टू एम.एफ.पी.) भी हैं तथा भारतीय आदिवासी सहयोग विपणन विकास संघ लिमिटेज (ट्राइफेड) भी बड़े स्तर पर अनुसूचित जनजाति को लाभ पहुंचाती है।

वन उपज पर अधिकार

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार पहचान) अधिनियम, 2006 सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण तथा अबाध भागीदारी का प्रावधान करता है।
- आदिवासी उप-योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता योजना और संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अधीन प्रदत्त अनुदान अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए आदिवासी मामलों के मंत्रालय के पूर्ण सहयोग के साथ राज्यों द्वारा कदम उठाये गये हैं।
- आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आदिवासी उत्सवों को प्रोत्साहित किया है जिसमें विविध कला शैलियों में समृद्ध कौशल और योग्यता प्रदर्शित करने के लिए महिला लोकगीत हैं।
- मंत्रालय का 50% से अधिक बज़ट अधिकांशतः शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका जैसे क्षेत्रों में खर्च होता है जो आदिवासी जनसंख्या को तथा विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं को भी लाभ पहुंचाते हैं।
- मंत्रालय कई गैर-सरकारी संगठनों की मदद कर रहा है जो न्यूनसुविधा क्षेत्रों में आदिवासियों को सेहत और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने में समर्थ रहे हैं।

निष्कर्ष:

- व्यापक तौर पर सामान्य जनसंख्या और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीच और विशेषकर अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में अंतर को दूर किये जाने की आवश्यकता है।
- पिछले कार्यों से उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और मंत्रालय को उन्हें अब मुख्यधारा में लाने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना बढ़ा देना चाहिए यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अनंतकाल तक अपनी संस्कृति और परंपराओं को निभाते रहें।

महिला सशक्तीकरण : कानूनी प्रावधान

- परिचय
- धारा 497 - व्यभिचार
- तीन तलाक का मुद्दा
- संपत्ति का अधिकार
- धार्मिक पहचान का अधिकार
- शारीरिक शोषण
- समान नागरिक संहिता
- निष्कर्ष

परिचय :

- महिलाओं को बिना किसी रोकटोक के अपने फैसले स्वयं लेने के लिए सशक्त बनाना और उन्हें पुरुषों के बराबर मानना राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति के लिए अनिवार्य है।
- इस आलेख में हाल के वर्षों में उच्चतम न्यायालय के प्रकाश में लाये गए कुछ मुख्य मुद्दों पर बात होगी।

धारा 497 - व्यभिचार :

- धारा 497 के तहत उस पुरुष को दंडित किया जाता है जो किसी महिला के साथ बिना उसके पति की मंजूरी अथवा मिलीभगत के नाजायज सम्बन्ध स्थापित करता है।
- यह एक बहुत पक्षपात रखने वाला प्रावधान है। यह महिला के साथ उसके पति की संपत्ति की तरह व्यवहार करता है क्योंकि पति की रजामंदी के साथ होने पर यह अपराध नहीं माना जाता है।
- इसमें दूसरे पुरुष की पत्नी के साथ सम्बन्ध स्थापित करने वाले पुरुष द्वारा अपराध किया जाना माना जाता है और पत्नी को निर्दोष माना जाता है।
- 42वीं विधि रिपोर्ट और मालीमठ समिति की रिपोर्ट 2003 में इस परिभाषा को बदलने और स्त्री और पुरुष के साथ समान व्यवहार करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया।
- यह बात हाल ही में जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ के मामले में प्रकाश में आयी।
- इस मामले में, पीठ ने कहा कि इस प्रावधान में लैंगिक निष्पक्षता का सिद्धांत नहीं है और जब पति की सहमति पर जोर दिया जाता है तो यह महिला की व्यक्तिगत पहचान को चोट पहुंचती है, इसलिए यह एक दकियानूसी प्रावधान है।
- इसमें केन्द्र का पक्ष यह है कि यह धारा विवाह की संस्था को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करती है और यदि इसे हटा दिया जाता है तो यह भारत की उस मूलभूत भावना को ठेस पहुंचेगा जो विवाह की संस्था को सबसे ज्यादा महत्व देती है।

तीन तलाक का मुद्दा:

- एकसाथ तीन तलाक सुन्नी मुसलमानों, विशेष तौर पर हनफी समुदाय के बीच बहुत पहले से चली आ रही प्रथा है, जिसमें कोई भी मुस्लिम पुरुष एक ही बार में तीन बार 'तलाक' शब्द बोलकर अपनी पत्नी को एकतरफा तलाक दे सकता है और उसे बदला भी नहीं जा सकता है।
- पिछले तमाम वर्षों में मुस्लिम पुरुषों ने मुस्लिम महिलाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रावधान का दुरुपयोग किया है।
- 2017 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी जायज कारण के बिना और दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोशिश किए बगैर ही दिया गया तलाक कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा।
- पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम बहुल देशों ने इस प्रथा को खत्म कर दिया है।
- 2017 में, एकसाथ तीन तलाक की संवैधानिक वैधता शायरा बानो बनाम भारत सरकार एवं अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय के सामने आयी। इसे 3:2 के बहुमत से असंवैधानिक, पक्षपाती और अनुच्छेद 14 के विरुद्ध ठहराया गया।
- 2017 में, एक साथ तीन तलाक को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध मानने की बात कही गई है। विधेयक को उसके मौजूदा रूप में त्रुटिरहित नहीं कहा जा सकता है।

संपत्ति का अधिकार:

- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में हुए संशोधनों ने महिलाओं को माता-पिता और ससुराल दोनों की ही संयुक्त परिवार की संपत्तियों में हिस्सेदारी का अधिकार दिया।
- कई जनजातीय कानूनों तथा धार्मिक कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को समुदाय से बाहर विवाह करने पर पैदाइशी तथा उनकी अपनी संपत्ति पर अधिकार से वंचित कर दिया जाता है।

धार्मिक पहचान का अधिकार:

- पारसी कानूनों के तहत, समुदाय से बाहर विवाह करने वाली पारसी महिलाओं की धार्मिक पहचान समाप्त हो जाती है।
- समुदाय से बाहर विवाह करने वाले पारसी पुरुष की संतानें तो पारसी हो सकती हैं, लेकिन समुदाय से बाहर विवाह करने वाली पारसी स्त्री की संतानें पारसी नहीं हो सकती हैं।
- समुदाय से बाहर विवाह करने वाली पारसी स्त्री को दखमा (टावर ऑफ साइलेंस) में नहीं जाने दिया जाता और अपने माता-पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता। इसके खिलाफ एक महिला ने गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी और अदालत ने पारसी महिला के धार्मिक कार्य नहीं करने के निर्णय को सही ठहराया।
- इस फैसले के उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में आने पर, पारसी ट्रस्ट ने अपनी सदियों पुरानी परम्परा को तोड़ा और महिला को उसके माता-पिता के अंतिम संस्कार में भाग लेने और दखमा में प्रवेश करने को मंजूरी दी।

शारीरिक दुर्व्यवहार

- वर्ष 2013 के पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत 'बलात्कार की परिभाषा' बहुत संकीर्ण थी और इसके दायरे में केवल यौन संबंध ही आते थे।
- लेकिन कुख्यात निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड के बाद आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बलात्कार रोधी विधेयक) पारित हुआ, जिसके अंतर्गत परिभाषा को विस्तार देकर गुप्तांग में शरीर का कोई अंग प्रविष्ट कराने, कोई वस्तु प्रविष्ट कराने आदि को इसमें शामिल किया गया।
- 2018 में, उच्चतम न्यायालय ने निर्भया मामले में चार व्यक्तियों के मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखा। एक आरोपी अव्यस्क था और सबसे क्रूर होने के बाद भी उसे तीन वर्ष बाद केवल इसीलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उसकी उम्र 18 वर्ष से कुछ महीने कम थी।
- इस घटना के बाद किशोर न्याय अधिनियम, 2015 पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि जघन्य अपराध (सात वर्ष अथवा अधिक समय के कारावास योग्य अपराध) करने वाले 16 वर्ष अथवा अधिक उम्र के लोगों पर व्यस्कों के समान मुकदमे चलाए जाएंगे।
- कठुआ सामूहिक बलात्कार कांड के बाद आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, जिसके तहत बलात्कार, विशेष रूप से 16 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में दंड को बढ़ा दिया गया।
- हालांकि यह थोड़ा विचित्र है कि "वैवाहिक बलात्कार" को अभी भी बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा गया है।

समान नागरिक संहिता

- सभी नागरिकों के धर्म पर विचार किए बगैर उनके निजी मामलों पर नियंत्रण करने वाली समान नागरिक संहित ही सच्ची पंथनिरपेक्षता की धुरी है।
- ऐसी संहिता की आवश्यकता है क्योंकि भारत में प्रचलित विभिन्न पर्सनल लॉ महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में अभी उन्हें लंबा सफर तय करना है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के प्रावधान की बात कही गई है।
- उच्चतम न्यायालय ने शाह बानो बनाम भारत संघ और सरला मुदगल बनाम भारत संघ जैसे विभिन्न मामलों में बार-बार समान नागरिक संहिता की जरूरत पर बात की।
- लेकिन भारत जैसे अत्यधिक सांस्कृतिक विविधता वाले देश में इसे लागू करना बहुत मुश्किल है।

निष्कर्ष

- पिछले कई वर्षों में भारत में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई है और भारत का उच्चतम न्यायालय पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को नया रूप देने में रचनात्मक भूमिका निभाता आया है।
- फिर भी महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है।

संचार : महिलाओं के सशक्तीकरण में व्यापक भूमिका

- परिचय
- महिलाओं की वर्तमान स्थिति
- मास मीडिया और विकास में इसकी भूमिका
- मास कम्यूनिकेशन मीडिया में लैंगिक असमानता
- महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए नीतियां
- निष्कर्ष

परिचय :

- मानव समाज में संचार की व्यापक भूमिका है। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में जीवंत कंत का प्रवाह करता है।
- अति सूक्ष्म स्तर पर, यह लोगों तक भागीदारी अथवा व्यवहार में बदलाव के जरिए पहुंचकर उन्हें सक्रिय बनाकर विकास और सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया की दिशा प्रदान करता है।
- आधुनिक प्रौद्योगिकी सम्पन्न समाज में मानव जीवन और मास मीडिया के समागम ने लोगों के बीच भागीदारी की एक भावना को प्रेरित करने में एक जबरदस्त बल का विकास किया है, जो समाज के रूपांतरण में एक अनिवार्य आवश्यकता है।

महिलाओं की वर्तमान स्थिति :

- उपनिषद् के अनुसार, पुरुष और महिला एक सर्वोच्च शक्ति की दो अभिव्यक्तियां हैं और ये बल, शक्ति और स्वभाव में बराबर हैं।
- पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाएं सामाजिक बहिष्कार, अनेक प्रकार के भेदभावों, मानसिक और शारीरिक दुर्व्यवहारों के लिए विवश होती गई।
- असमानता के दुश्चक्र ने महिलाओं की स्थिति में गिरावट बरकरार रखी और एक असंतुलित विकास को बढ़ावा दिया।
- 21वीं सदी, हालांकि एक विरोधाभासी स्थिति को प्रस्तुत करती है। अब महिलाओं का एक वर्ग सामाजिक-आर्थिक विकास का लाभ उठा रहा है और उसने समान में अपने लिए एक स्थान बना लिया है।
- लेकिन उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहां तक कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार से भी वंचित है। एक बालिको को ही, कई बार, जीने के भी योग्य नहीं माना जाता।

मास मीडिया और विकास में इसकी भूमिका :

- आज के भारत में प्रिंट, दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक प्रभावी संदेशवाहक और परिवर्तनकारी एजेंट के तौर पर, इस तरह अलग-थलग पड़ी वंचित महिलाओं के एक बड़े हिस्से को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की व्यापक क्षमता है।
- सोशल मीडिया ने समय, स्थान और सूचना के आदान-प्रदान की मात्रा की कोई परंपरागत सीमा से बाधित हुए बगैर, परस्पर सम्प्रेषण और जुड़ाव का एक नया मार्ग खोल दिया है।
- संचार सुविधाओं के अत्यधिक विस्तार असंख्यक लैंगिक मुद्दों को सामने लाने में मददगार रहा है, जो अब तक सुर्खियों से परे थे।
- सम्प्रेषक के तौर पर महिलाएं धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं और अपनी आवाज उठा रही हैं। वे लैंगिक मुद्दों को नया दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य और किनारा प्रदान कर रही हैं और संवेदना के साथ पीड़ा और मानवाधिकार उल्लंघन की कहानियों को उजागर कर रही हैं।
- मास मीडिया सशक्तीकरण के लिए महिला-उन्मुख कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने में भी कमर कर रही है।
- आल इंडिया रेडियो (ए.आई.आर.) और दूरदर्शन में महिला सशक्तीकरण शीर्ष एजेंडा रहा है। डी.डी. नेशनल पर स्त्री शक्ति, सफल महिलाओं की सफलता की कहानियों पर प्रकाश डालती है।
- डी.डी. न्यूज 'तेजस्वनी' का प्रसारण करता है जो उदाहरणीय महिलाओं की कहानियों को प्रस्तुत करता है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य पर पहुंची।

मास कोम्यूनिकेशन मीडिया में लैंगिक असमानता :

- सभी आर्थिक और सामाजिक सेवाओं में महिलाओं का असमान प्रतिनिधित्व मास कम्यूनिकेशन मीडिया के क्षेत्र के लिए भी सत्य है।
- महिलाओं के प्रति रुढ़िवादिता अभी भी जारी है। अखबारों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा या यौन शोषण की नई घटनाएं दिखती रहती हैं, लेकिन रिपोर्टिंग अक्सर पक्षपात पूर्ण होती है।
- महिलाएं एक गंभीर निर्णायक या बहुत गंभीर पेशेवर के रूप में हमेशा नजर अंदाज की जाती हैं। उनकी सफलता की कहानी केवल तभी छपती है, जब उन्होंने कुछ बड़ा अथवा वे सफलता के शिखर पर पहुंची हों।

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए नीतियां :

- महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति (एन.पी.डब्ल्यू.) 2016 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की रचनात्मक भागीदारी साकार करने के संकल्प को दर्शाता है।

- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम. 2013 एक महत्वपूर्ण कानून है जिसमें प्रत्येक नियोक्त को एक सुरक्षित कार्य स्थल सुनिश्चित करने का दायित्व दिया गया है।
- महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईडब्ल्यू) स्कीम 2016-17, पक्ष समर्थन अभियानों में बहु सम्प्रेषण माध्यमों के इस्तेमाल के साथ महिलाओं के लिए कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्र के समायोजन की संयुक्त रणनीति है।
- संकटग्रस्त महिलाओं तक पहुंच कायम करने के लिए महिला हेल्पलाइन शुरू की गई है।
- महिलाओं में नये कौशल जोड़ने के लिए प्रशिक्षण और रोज़गार कार्यक्रम शुरू किये गये हैं।
- महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को विकास हेतु सुविधाएं प्राप्त करने, चाहे ये सूचना, वित्तीय अथवा सामग्री संसाधन अथवा सेवाएं हैं, के लिए एकजुटता और सहायता प्रदान की है।
- इन सभी महिला केन्द्रित कार्यक्रमों का सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण (आई.सी.सी.) एक अभिन्न हिस्सा है।
- महिला सशक्तीकरण के मुद्दे ने उस वक्त समूचे राष्ट्र की भावना को एकजुट कर लिया जब प्रधानमंत्री ने 2015 में जन्म के समय असामान्य स्त्री-पुरुष अनुपात से सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों में से एक हरियाणा के पानीपत जिले में "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम की शुरूआत की। कार्यक्रम ने अपने सकारात्मक लाभों को दिखाना शुरू कर दिया है। यह सार्वजनिक सम्प्रेषण रणनीति की सफलता है जो कि स्थानीय स्तर पर अभिनव उपायों पर आधारित है।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत दो वर्षों के भीतर 16.34 करोड़ महिलाएं बैंकिंग प्रणाली से जुड़ गई हैं।
- सुकन्या समृद्धि योजना के अधीन, शुरुआत के दो वर्षों के भीतर नवम्बर 2017 तक बालिकाओं के नाम 1.26 करोड़ से अधिक नये खाते खोले गये हैं।
- उद्यमिता विकास के लिए मुद्रा योजना के अधीन स्वीकृत ऋणों में 75% से अधिक हिस्सा प्राप्त करते हुए पुरुषों से आगे निकल गई हैं।
- इसके साथ ही, आज के दिनों में महिलाओं के परीक्षण, कष्ट और विजय की गाथा अखबार के पृष्ठों पर छप रही है। टी.वी. उद्योग सफल महिलाओं की कहानियों को दिखाने में अधिक पीछे नहीं है।

निष्कर्ष

- मास मीडिया ने महिला सशक्तीकरण के लिए योजनाओं से लाभदायक परिणाम प्राप्त करने के लिए और बड़ी जनसंख्या को लैंगिक अधिकारों के मुद्दों को रेखांकित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- सम्प्रेषण और नई प्रौद्योगिकीयों की विशाल शक्ति ने वास्तव में भागीदारी बढ़ाने और परिवर्तन की मागं उठाने की प्रेरणा को उत्साहित किया है।

- आज अधिकतर महिलाएं समाज में अपने लिये अधिकारपूर्ण स्थान के लिए संघर्ष करने की स्थिति में हैं। यह नया अर्जित विश्वास महिलाओं के बहुआयामी विकास के लिए एक नये युग का सूत्रपात करने में बहुत कारगर साबित होगा।

gradeup

Banking, SSC, GATE, JEE, NEET & other Online Mock Test Series

- Based on Latest Exam Pattern
- Available in Hindi & English
- Get all India rank & result analysis
- Detailed Solutions
- Can be taken on web & mobile

ANDROID APP ON Google play

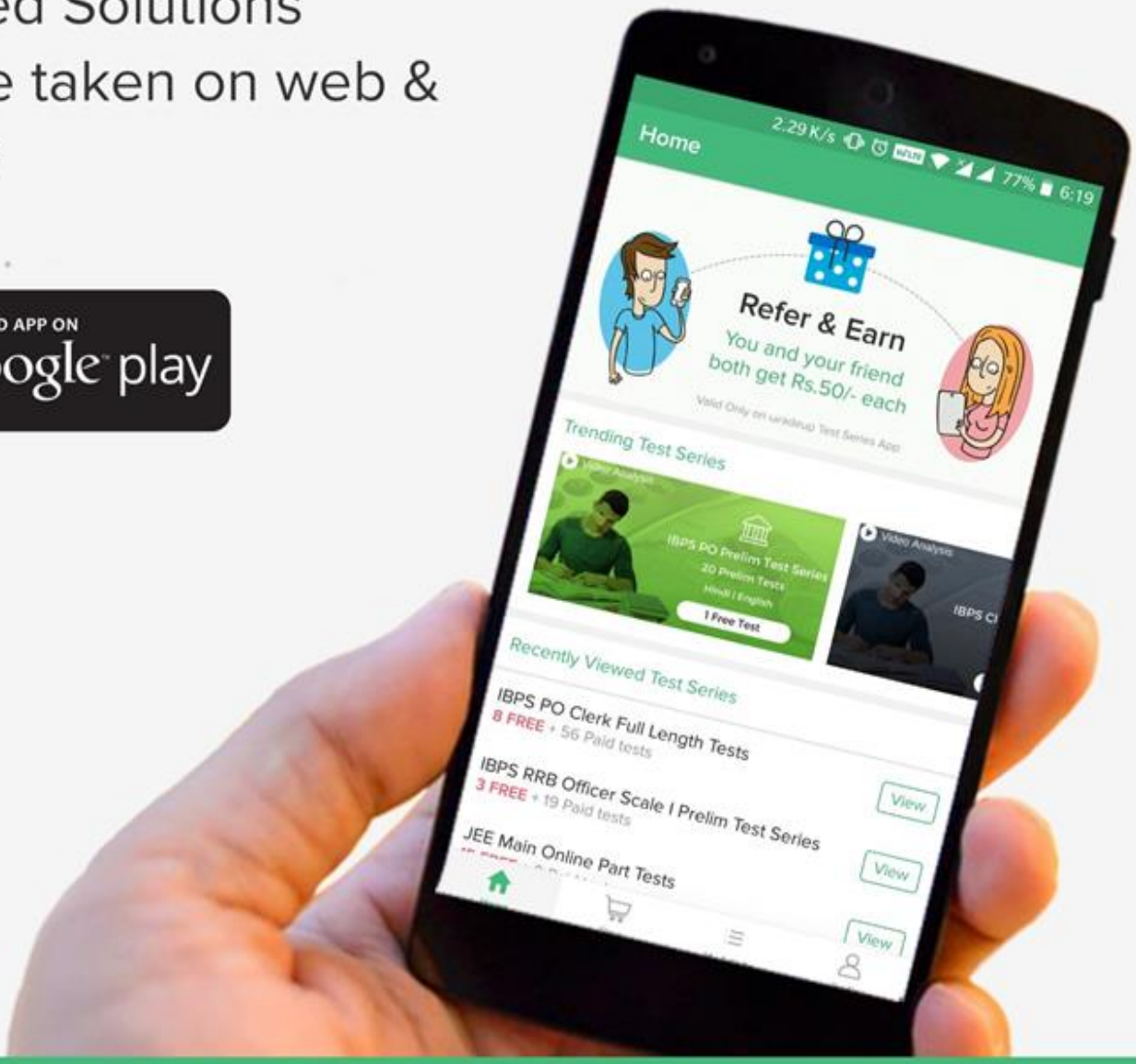

www.gradeup.co